विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-20/15

श्री शिवओम अग्रवाल — आवेदक
लकी टेलर के पास, छप्पर वाला पुल,
शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक, शहर संभाग (केन्द्रीय) — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
ग्वालियर।

आदेश
(दिनांक 21.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक G/T/049 श्री शिवओम अग्रवाल विरूद्ध उप महाप्रबंधक, शहर संभाग (केन्द्रीय), म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ग्वालियर में पारित आदेश दिनांक 19.09.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–20/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 19.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि प्रकरण में अपना लिखित प्रतिवेदन डाक से भिजवा दिया है तथा उनकी अनुपस्थिति को क्षमा करें और उनके लिखित प्रतिवेदन पर ही विचार करने का कष्ट करें।

04 प्रकरण के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर फोरम के निर्णय के विरूद्ध अपनी अपील प्रस्तुत की है। जिसमें क्रमशः (i) उनके परिसर में लगाये गये मीटर को उनकी अनुपस्थिति में बदला गया । (ii) जो मीटर लगाया गया उसकी परिशुद्धता का परीक्षण नहीं किया गया तथा मीटर परिवर्तन रिपोर्ट पर उपभोक्ता का नाम शिवओम की जगह शिवम लिखा गया तथा पूर्व में मीटर परिवर्तन रिपोर्ट पर भाई का नाम लिखा गया बाद में काट कर उनका नाम अंकित किया गया। (iii) मीटर रीडिंग डायरी में मीटर की प्रारंभिक रीडिंग और अंतिम रीडिंग अंकित नहीं की गई। अतः कंपनी द्वारा गलत रूप से संयोजन

करने तथा मीटर का परिवर्तन उपभोक्ता के नाम से नहीं करने पर रूपये 25000/– की क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए।

05 उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि फोरम के सम्मुख उनके आवेदन पर फोरम द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.11 एवं 8.14 का परिपालन विभाग द्वारा नहीं करना पाया गया । अतः विभाग को इस संबंध में भविष्य में उक्त कंडिकाओं का पालन करना सुनिश्चित करने को कहा गया।

06 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त कंडिकाओं का परिपालन न करने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई अधिकार विद्युत लोकपाल को नहीं है। इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 जो विभन्न सेवा क्षेत्रों में त्रुटि किये जाने पर उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति के संबंध में विनियम जारी किया गया है। इन सेवा क्षेत्र में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर किस तरह की क्षतिपूर्ति उपभोक्ता को देय होगी। साथ ही मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में भी विद्युत लोकपाल के कृत्यों में भी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

07 विद्युत अधिनियम, 2003 की धार 142 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003, नियम/विनियम अथवा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लघन किया जाता है तो संबंधित प्रभावित व्यक्ति, इस धारा के तहत आयोग में आवेदक प्रस्तुत कर सकता है।

अतः उपरोक्त तर्क एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है –

(i) कि आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 8.11 एवं 8.14 के परिपालन न करने से उसको क्या आर्थिक क्षति हुई इसका उल्लेख न कर क्षतिपूर्ति की मांग की है जो विधिसंगत नहीं है।

(ii) प्रकरण में उपभोक्ता फोरम द्वारा अपने निर्णय में आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.11 एवं 8.14 के संबंध में चाही गई राहत में अपने निर्णय में अनावेदक द्वारा कार्यवाही न किया जाना पाया गया तथा भविष्य में उन्हें उक्त कंडिकाओं के

तहत निर्णय दिया दिया है कि अनावेदक द्वारा उक्त कंडिकाओं पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(iii) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2012 के तहत विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.11 एवं 8.14 के परिपालन में त्रुटि करने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने का विद्युत लोकपाल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं न ही मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में विद्युत लोकपाल के कृत्यों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार है।

(iv) इस प्रकरण में आवेदक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः फोरम के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल